बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07 विविध–16/2015 – 4023 खाद्य, पटना/दिनांक– 16.08.17

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :– **जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नये अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के आलोक में विभागीय पत्र–1222, दिनांक 08.03.2017 द्वारा जन वितरण प्रणाली के रिक्ति के विरुद्ध अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया था । पुनः विभागीय पत्र 1571, दिनांक 28.03.2017 द्वारा आवेदन प्राप्त करने के संबंध में भी वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी । इसके बावजूद भी अद्यतन 10(दस) ही जिले से अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन निर्गत किया गया है । दरभंगा एवं शेखपुरा को छोड़कर कहीं भी चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी है । आप अवगत हैं कि राज्य में कई ऐसे पंचायत/वार्ड हैं जहां पर जन वितरण प्रणाली का दुकान नहीं हैं एवं कई पंचायतों में मात्र एक या दो ही जन वितरण प्रणाली का दुकान है । स्पष्टतया उन क्षेत्रों के लाभुकों को राशन/किरासन तेल प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः उपरोक्त विवरणी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि यथाशीघ्र अभियान चलाकर रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों के विरुद्ध अनुज्ञप्ति निर्गत की जाय एवं लाभुकों को मैपिंग कराकर यथासाध्य उनके क्षेत्र के ही जन वितरण प्रणाली के दुकानों के साथ संबद्धता सुनिश्चित की जाय । जन वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु यह आवश्यक है कि समुचित संख्या में जन वितरण प्रणाली दुकान एवं लाभुक संबद्ध हो एवं इससे छेड़छाड़ कम–से–कम हो ।

कृपया उक्त निदेशों का अनुपालन एक पक्ष में करते हुए प्रपत्र । एवं ।। में एक प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र07 विविध–16/2015 4023 खाद्य, पटना/दिनांक– 16.08.17

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि भवदीय स्तर से भी इसकी समीक्षा करने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–विविध–16/2015– 1222 खाद्य, पटना/दिनांक– 08-03-17

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :– **विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.03.2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प 963 दिनांक 20.01.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश यचिका संख्या– 4453/2016 के संदर्भ में दिनांक 14.12.2016 को दिए गये न्यायादेश में जन वितरण प्रणाली की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर लगायी रोक को हटा दिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका–6 में उपर्युक्त वर्णित आरक्षण व्यवस्था में "महिलाओं को दिया जाने वाला 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण" का प्रावधान लागू होगा या नहीं ? के बिन्दू पर सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श मांगा गया था।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परामर्शित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक 15.02.2016 के अनुसार महिलाओं को दिये जाने वाला 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान को लागू किया जाना भी युक्तिसंगत एवं व्यवहारिक प्रतीत होता है।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या– 4453/2016 के संदर्भ में दिनांक 14.12.2016 को दिए गये न्यायादेश के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक 15.02.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित प्रावधानों के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों का रोस्टर तैयार किया जाय एवं रिक्तियों की संख्या के आधार पर नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालते हुए अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं रिक्ति की कोटिवार विवरणी विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोक्त।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक प्र07–विविध–16/2015– 1222 खाद्य, पटना/दिनांक– 08-03-17

प्रतिलिपि – अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–विविध–16/2015– 1571 /खाद्य,पटना/दिनांक 28.03.17

फैक्स
ई–मेल

प्रेषक

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

विषय:– जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में ।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–351 दिनांक–15.03.2017

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विभाग को सूचित किया गया है कि उचित मूल्य की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति हेतु जिन अनुमंडलों द्वारा पूर्व में रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशन कर उसके विरूद्ध आवेदन आमंत्रित कर लिया गया है, जिस पर अग्रेतर कार्रवाई करने के बिन्दू पर विभागीय मार्गदर्शन/मंतव्य की अपेक्षा की है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 1222 दिनांक 08.03.2017 द्वारा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प 963, दिनांक 20.01.2016, परिपत्र 2342 दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानो के तहत रोस्टर तैयार करते हुए रिक्तियों के आधार पर मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, रिक्तियों की कोटिवार विवरणी विभाग को भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अतः मांगे गये मार्गदर्शन/मंतव्य के आलोक मे कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका सं0–4453/2016 के संदर्भ में दिनांक 14.12.2016 को दिये गये न्यायादेश में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर लगायी रोक को हटा लिया गया है। तद्आलोक में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति हेतु नये सिरे से आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प 963, दिनांक 20.01.2016, परिपत्र 2342 दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानों के तहत अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक – प्र07–विविध–16/2015– 1571 /खाद्य,पटना/दिनांक 28.03.17

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।